

(141)  
ब्रा० ५३०३/२०१८/रीवा/झुटा०

न्यायालय : मानवीय राजस्व मंडल म०प० ग्वालियर सर्किंट कोर्ट रीवा, म०प०.  
राज० निगरानी क्र०/ /०१८



गोत्तिवन्द प्रसाद तनयश्चैम्भू प्रसाद निवासी ग्राम बरहटा पा० आ० बरहटा,  
धाना व तह० मऊंज, जिला रीवा, म०प०.

----- आवेदक

बनाम

- 01- पुष्पेन्द्र कुमार तनय जगदीश प्रसाद ब्रा० उमे०३। वर्ष पेशा-खेती  
निवासी ग्राम बरहटा धाना व तह० मऊंज, जिला रीवा, म०प०.  
02- सुरेन्द्र कुमार तनय जगदीश प्रसाद ब्रा० उमे०२६ वर्ष पेशा-खेती, निवासी  
ग्राम बरहटा, धाना व तह० मऊंज, जिला रीवा, म०प०.  
03- जगदीशप्रसाद तनय शम्भू प्रसाद ब्रा० निवासी ग्राम बरहटा, धाना व  
तह० मऊंज, जिला रीवा, म०प०.  
04- श्रीमती सुशीला देवी पुत्री शम्भू प्रसाद निवासी ग्राम पतेरी धाना व  
तह० मऊंज, जिला रीवा, म०प०.  
05- श्रीमती मालती देवी पुत्री शम्भू प्रसाद पति जगदीशप्रसाद ब्रा० निवासी  
ग्राम मदरी। भठवा। तह० सिरमौर जिला रीवा, म०प०.  
06- श्रीमती उमिला देवी पुत्री शम्भू प्रसाद ब्रा० निवासी ग्राम बगडिया तह०  
सिरमौर जिला रीवा, म०प०.  
07- श्रीमती विमला देवी पुत्री शम्भू प्रसाद ब्रा० निवासी ग्राम मनिकार,  
तह० रायपुर कु० जिला रीवा, म०प०.

----- अनावेदकण।

निगरानी विरुद्ध आदेश अर आयुक्त महोदय  
रीवा संभागरीवा जो राज०प०क्र० 474/निग./  
2006-07 मे दिनांक 07.06.018 को आदेश

M

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5303 - रीपा 113. जिला - रीया

गोपीनेत्र प्रताड़ विरुद्ध पुष्टेन्द्र कुमार थाने अम्ब

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

18.12.18

- आवेदक की ओर से श्री मनोज तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 474/रीपा/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 7-6-18 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 31-8-18 प्रस्तुत की गयी है।
- म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।
- इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।

सदस्य